

न्यासी बोर्ड
राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना,

126

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प. 15(7) आर.पी.एम.एफ./2012

6713

दिनांक

प्रबंध संचालक,

राज.राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ,

नेहरू प्लेस टॉक रोड, जयपुर।

24 SEP 2012

विषय: नई पेंशनर्स मेडिकल डायरी से निशुल्क दवा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

प्रसंग: इस कार्यालय का पत्र क्रमांक प. (7)आरपीएमएफ./2012/4376-4410 दिनांक 29.06.12, 5804-40 दिनांक 27.08.2012 एवं 6424-58 दिनांक 14.09.2012.

महोदय,

इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्रों द्वारा समस्त कोषाधिकारियों को पेंशनर्स की पुरानी मेडिकल की डायरी के स्थान पर नई मेडिकल डायरियां जारी करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे, जिनकी प्रतिलिपी आपको भी पृष्ठांकित की गई थी। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दिनांक 01.09.2012 से नई मेडिकल डायरी जारी किया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है।

कतिपय पेंशनर्स ने अवगत कराया है कि कोषाधिकारी (पेंशन) जयपुर द्वारा दिनांक 01.09.2012 के बाद जारी नई मेडिकल डायरियों से कॉन्फेड की कतिपय दुकानों द्वारा निशुल्क दवाईया उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

अतः आपसे निवेदन है कि पेंशनर्स को अधिकृत चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाईया पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नई डायरी से निशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावे।

भवदीय,

सदस्य सचिव एवं निदेशक
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर

दिनांक

क्रमांक: प. 15(7) आर.पी.एम.एफ./2012

6714

प्रतिलिपी प्रबंधक, मेडिकल राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ/ लि. नेहरू प्लेस टोक रोड जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सदस्य सचिव एवं निदेशक
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर

न्यासी बोर्ड
राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना,

12-6

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प. 15(7) आर.पी.एम.एफ./2012

6713

दिनांक

प्रबंध संचालक,

राज.राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ,

नेहरू प्लेस टॉक रोड, जयपुर।

24 SEP 2012

विषय:- नई पेंशनर्स मेडिकल डायरी से निशुल्क दवा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

प्रमाण इस कार्यालय का पत्र क्रमांक प. (7)आरपीएमएफ/2012/4376-4410 दिनांक 29.06.12, 5804-40 दिनांक 27.08.2012 एवं 6424-58 दिनांक 14.09.2012.

महोदय,

इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्रों द्वारा समस्त कोषाधिकारियों को पेंशनर्स की पुरानी मेडिकल की डायरी के स्थान पर नई मेडिकल डायरियां जारी करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे, जिनकी प्रतिलिपी आपको भी पृष्ठांकित की गई थी। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दिनांक 01.09.2012 से नई मेडिकल डायरी जारी किया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है।

कतिपय पेंशनर्स ने अवगत कराया है कि कोषाधिकारी (पेंशन) जयपुर द्वारा दिनांक 01.09.2012 के बाद जारी नई मेडिकल डायरियों से कॉन्फेड की कतिपय दुकानों द्वारा निशुल्क दवाईया उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

अतः आपसे निवेदन है कि पेंशनर्स को अधिकृत चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाईया पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नई डायरी से निशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावे।

भवदीय,

सदस्य सचिव एवं निदेशक
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर

दिनांक

क्रमांक: प. 15(7) आर.पी.एम.एफ./2012..

6714

प्रतिलिपी प्रबंधक, मेडिकल राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ/ लि. नेहरू प्लेस टोक रोड जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सदस्य सचिव एवं निदेशक
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर